

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद- मैनपुरी के अंतर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0एच0 84)
भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक की दांयी पटरी पर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का 0 लि 0 बरेली द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाईन
बिछाये जाने वाली 0.704 हे 0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर
वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं 0 एफपी/यू0पी0/पाइप
लाइन/118863/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश
संख्या-पी 97/81-2-2020-800(95)/2021, दिनांक 05.08.2021 के द्वारा
प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :- 05/08/2021.

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

सचिव

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।